न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 49 / 2023

1 भानाराम पुत्र लालचन्द।
2 सीताराम पुत्र लालचन्द।
3 कन्हैयालाल दत्तक पुत्र मोहनलाल।
4 दीनदयाल पुत्र जगन्नाथ।
5 रामदयाल पुत्र जगन्नाथ।
6 पुष्पा पुत्री जगन्नाथ।
7 सुशीला पुत्री जगन्नाथ।
8 मनोहरी पत्नी चतुर्भुज।
9 सम्पत दत्तक पुत्र चतुर्भुज समस्त जाति नाई निवासीगण जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजी देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी मदनलाल जाति नाई निवासी जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर हाल निवासी ससुराल ग्राम दोलतपुरा तहसील व जिला सीकर।
2 शंकर पुत्र बोहिता।
3 रामनिवास पुत्र बोहिता।
4 शिशराम पुत्र बोहिता।
5 बबीता पुत्री बोहिता।
6 मन्जु पुत्री बोहिता।
7 सुमन पुत्री बोहिता।
8 मदनी पत्नी बोहिता।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 राकेश पुत्र किशन।
10 मुकेश पुत्र किशन।
11 चुकी पत्नी किशन।
12 भगवाना पुत्र रामकुमार।
13 राजेन्द्र पुत्र भगीरथ।
14 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ।
15 सतीश पुत्र भागीरथ।
16 सरला पुत्री भागीरथ।
17 संतरा पुत्री भागीरथ।
18 संतोष पुत्री भागीरथ।
19 पूर्णी पुत्री लालचन्द।
20 रतनी पुत्री लालचन्द।
21 सुशीला पुत्री लालचन्द।
22 विकास पुत्र मदन।
23 सजना पत्नी मदन।
24 भोलू पुत्र पोखर।
25 सांवरा पुत्र पोखर समस्त जाति नाई निवासीगण जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
26 नरेश कुमार पुत्र रिछपाल सिंह।
27 नवनीत कुमार पुत्र रिछपाल सिंह।
28 महिपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
29 सत्यप्रकाश पुत्र रिछपाल सिंह।
30 राजकुमार पुत्र भागीरथ।
31 सुरेन्द्र पुत्र भागीरथ।
32 धर्मेश पुत्र हरिसिंह।
33 बलबीर पुत्र हरिसिंह।
34 मुकेश पुत्र हरिसिंह।
35 मनकोरी पत्नी हरिसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

36 पतासी पत्नी मोहनलाल।
37 वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल।
38 मन्नी देवी पत्नी जवाहर सिंह।
39 रामस्वरूप पुत्र जवाहर सिंह।
40 रघुनाथ पुत्र रामकुमार।
41 विजयपाल पुत्र रूघनाथ।
42 शंकरलाल पुत्र रूघनाथ।
43 सांवरमल पुत्र जोधाराम समस्त जाति जाट निवासीगण जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
44 पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादिया जिला सीकर।
45 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कूदन जिला सीकर जरिये मैनेजर।
46 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा किरडोली जिला सीकर जरिये मैनेजर।
47 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोलिड़ा जिला सीकर जरिये मैनेजर।
48 पटवारी पटवार हल्का जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
49 उप पंजियक सीकर ग्रमीण जिला सीकर।
50 तहसीलदार सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर मुनेश चौधरी आर.ए.एस. द्वारा दिये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.22 को निरस्त करवाने बाबत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 3-1-24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 117/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। धारा 5 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.08.2022 के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं हुई क्योंकि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्टस को यह आश्वासन दिया था कि प्रतिवादी संख्या 4,5,6 व 7 का अभी जवाब दिया जाना शेष है तथा पत्रावली में तनकीयात की कार्यवाही होना शेष है उसके बाद आपको सूचित कर साक्ष्य हेतु बुला लिया जायेगा। अधिवक्ता के आश्वासन पर अपीलांट्स निश्चित हो गये दिनांक 19.01.2023 को जब पटवारी हल्का जेरठी मय भू अभिलेख निरीक्षक कूदन तथा तहसीलदार महोदय सीकर ग्रामीण द्वारा ग्राम जेरठी में जाकर केवल अपीलांट संख्या 3 को बुलाकर उसे रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जमीन के बंटवारे की बात कही इसके अलावा उसे कोई सूचना नहीं दी गई तथा अन्य अपीलांट्स को बिना सूचना दिये ही फर्द मौका प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव बनाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जिसकी सूचना अपीलांट्स द्वारा अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिवक्ता से दिनांक 17.03.2023 को फर्द मौका रिपोर्ट की नकल लेने पर पता चला कि उक्त फर्द मौका रिपोर्ट बिना अपीलांट्स को सूचना दिये ही बना दी गई है। इस पर अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.04. 2023 को सम्पूर्ण आर्डरशीट की नकल प्राप्त कर उसका अवलोकन करने पर उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा जारी किये गये गलत अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री का पता चला जिस पर यह अपील तैयार कर अतिशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए जानकारी से पूर्व ही विलम्ब माफ किये जाने योग्य है। अत न्यायहित में आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट प्रतिवादीगण की ओर से प्रारम्भिक डिक्री पारित करने हेतु सहमती दी थी तथा सहमती के हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका पर किये। डिक्री की पालना में मौके पर गिरदावर वृत कूदन दिनांक 16.01.2023 को गये तथा मौका रिपोर्ट तैयार दिनांक 19.01.2023 को तहसीलदार सीकर द्वारा तैयार किये जाने बाबत नोटिस दिया जिस पर अपीलांट नम्बर 2 सीताराम, अपीलांट नम्बर 3 कन्हैयालाल व अपीलांट नम्बर 4 दीनदयाल के हस्ताक्षर है तथा रेस्पोडेंट के भी हस्ताक्षर है तथा जिस दिनांक 19.01.2023 को तहसीलदार महोदय सीकर मौके पर गये तथा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करके भिजवाये। प्रतिवादी/अपीलांट मौके पर उपस्थित थे जिन्होने हस्ताक्षर नही किये। रिपोर्ट उनकी मौजुदगी में तैयार की। इसलिए अपीलांट का यह कथन बिल्कुल गलत है। उन्हे प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी दिनांक 17.03.2023 को हुये एवं सम्पूर्ण आर्डरशीट की नकल दिनांक 13.04.2023 को मिलने पर हुई। दिनांक 04.04.2023 को अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा। इस प्रकरण में अपीलांट को प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.08. 2022 की जानकारी डिक्री को पारित करने के दिन से ही है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। धारा 5 के आवेदन में अपीलांट का कथन है कि उन्हे पूर्व में विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। इस सन्दर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण की ओर से प्रारम्भिक डिक्री पारित करने हेतु सहमती दी थी तथा सहमती के हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका पर किये। डिक्री की पालना में मौके पर गिरदावर वृत कूदन दिनांक 16.01.2023 को गये तथा मौका रिपोर्ट तैयार दिनांक 19.01.2023 को तहसीलदार सीकर द्वारा तैयार किये जाने बाबत नोटिस दिया जिस पर अपीलांट नम्बर 2 सीताराम, अपीलांट नम्बर 3 कन्हैयालाल व अपीलांट नम्बर 4 दीनदयाल के हस्ताक्षर है तथा रेस्पोडेंट के भी हस्ताक्षर है तथा जिस दिनांक 19.01.2023 को तहसीलदार महोदय सीकर मौके पर गये तथा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करके भिजवाये। प्रतिवादी/अपीलांट मौके पर उपस्थित थे जिन्होने हस्ताक्षर नही किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होना प्रकट होता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर